No. 94]

#### **GOVERNMENT OF INDIA**



असाधारण

### EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 2017/ फाल्गुन 20, 1938

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 405

DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 2017/PHALGUNA 20, 1938

[N.C.T.D. No. 405

भाग—IV PART—IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

jkT; puko ∨k;kx ∨fèkl upuk दिल्ली, 10 मार्च, 2017

la , Q- 4½18½ √ks, I-Mh-vkbæfof/k@jk-pqvk-@2017@7797.—जबिक, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 यथासंशोधित तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली के तीनों नगर निगमों जैसे कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (वार्ड संख्या 1 एन से 104 एन तक) दक्षिण दिल्ली नगर निगम (वार्ड संख्या 1 एस से 104 एस तक) तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम (वार्ड संख्या 1 ई से 64 ई तक) के लिए अप्रैल, 2017 में होने वाले आम चुनाव द्वारा पार्षदों के चुनाव करवाकर तीनों निगमों का गठन करना है।

और जबिक, राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त आम चुनावों में उपयोग हेतु तीनों नगर निगमों के ऊपर वर्णित सभी वार्डों के लिए नई मतदाता सूचियां तैयार करने की एवज़ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अंगीकार करना उचित होगा, जो उक्त नगर निगमों के सभी वार्ड तत्समय इसके अन्तर्गत आते है, और उपरोक्त चुनावों के प्रयोजन के लिए उक्त वर्णित सभी वार्डों से संबंधित है । चूंकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ 1.1.2017 से अर्हक तिथि के रूप में मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली द्वारा पुनरीक्षित की जा चुकी है और इस आयोग द्वारा उक्त वर्णित वार्डों की नई मतदाता सूचियों को तैयार करने में काफी समय लगा तथा इस संबंध में अतिरिक्त व्यय भी होगा, जिसे आसानी से बचाया जा सकता है;

अब इसलिए, दिल्ली नगर निगम (मतदाता सूची की तैयारी) नियमावली, 1975 के नियम 27 के उपबंधों के साथ पठित दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7ड़ के परन्तुकों के अन्तर्गत चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस. के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के उक्त वर्णित वार्डों से संबंधित तत्समय लागू उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ अप्रैल, 2017 में होने वाले आम चुनावों के प्रयोजन से तीनों दिल्ली नगर निगमों के उक्त वार्डों की मतदाता सूचियाँ होंगी।

एस. के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

### STATE ELECTION COMMISSION

#### NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2017

**No. F. 4 (218)/OSD.I/Legal/SEC/2017/7797.**—**WHEREAS** general elections to three Municipal Corporations of Delhi, are scheduled to be held in April, 2017 under the provisions of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended and the Rules made thereunder, to elect councillors to constitute the three Municipal Corporations viz. North Delhi Municipal Corporation (Wards No.1 N to 104 N), South Delhi Municipal Corporation (Wards No.1 S to 104 S) and the East Delhi Municipal Corporation (Wards No. 1 E to 64 E),

AND WHEREAS the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, is satisfied that instead of preparing fresh electoral rolls for election of councillors to the three Municipal Corporations of Delhi as detailed above, it would be sufficient to adopt the electoral rolls of the respective Assembly Constituencies of the National Capital Territory of Delhi, as are comprised within the above-mentioned wards of the three Municipal Corporations of Delhi, as have been updated with reference to '1.1.2017' as the qualifying date by the Chief Electoral Officer, Government of Delhi and are in force for the time being. These also relate to the above-mentioned wards of the three Municipal Corporations, for the purposes of the aforesaid general elections. Thus preparation of fresh electoral rolls for the above-said wards by this Commission would entail considerable time besides incurring additional expenditure in this respect and can be avoided;

**NOW, THEREFORE,** in exercise of the powers conferred upon the Election Commission under the proviso to Section 7E of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 read with the provisions of Rule 27 of the Delhi Municipal Corporation (Preparation of Electoral Rolls) Rules, 1975, I, S. K. Srivastava, State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby direct that the electoral rolls of such Assembly constituencies, for the time being in force and as it also relates to the above-mentioned wards of the three Municipal Corporations of Delhi, shall be the electoral rolls for the said Municipal Wards, for the purpose of the ensuing general elections to the three Municipal Corporations of Delhi to be held in April, 2017.

S. K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner